



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Prof. Ummed Singh
Zonal Director Research

8299837429

zdr.fatehpur@sknau.ac.in

No. F()/ARS/FTR/2025/ 192-197

Dated: 21/05/2025

बोली आमंत्रण सूचना

केन्द्र के पूर्वी फार्म-प्रथम व द्वितीय पर वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) हेतु विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती की जानी है, जिसके लिए खुली निविदा दिनांक 30.05.2025 प्रातः 11.30 बजे तक मोहरबन्द बोली आमंत्रित की जाती है। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज <https://sppp.rajasthan.gov.in> और <https://sknau.ac.in> वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	निविदा फार्म शुल्क (रु.)	अनुमानित क्षेत्रफल	कार्य की अवधि
1.	केन्द्र के पूर्वी फार्म-प्रथम (टयूबवेल संख्या 2, 3 व 4) पर विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती	9.90	20000	500	30-40 हैक्टेयर	एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)
2.	केन्द्र के पूर्वी फार्म-द्वितीय (टयूबवेल संख्या 5, 6 व 7) पर विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती	9.90	20000	500	30-40 हैक्टेयर	एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, अनुसंधान निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि निर्धारित तिथि को आप या आपका नोमिनी नियुक्त करावें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://sknau.ac.in> पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, फार्म प्रभारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा शाखा, कैशियर, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी।
6. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

पूर्वी फार्म में हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा सूचना

केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती हेतु सभी खुली निविदा इच्छुक बोलीदाताओं/सेवाप्रदाताओं से तकनीकी एवं वित्तीय मुहरबन्द निविदा पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है:

1. कार्य का नाम	: फसलों की हिस्सा आधारित खेती
2. बजट मद	: रिवॉल्विंग फंड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	: एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)
4. निविदा फार्म शुल्क	: 500/-रुपये डी.डी./नगद
5. बोली प्रतिभूति राशि	: 20000 रु. डी.डी.
6. कार्य सम्पादन राशि	: 40000 रु. डी.डी.
7. कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल	: 30-40 हैक्टर
8. निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
9. निविदा जमा में जमा कराने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक
10. निविदा खोलने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को सांय 2.00 बजे
11. निविदा खोलने का स्थान	: कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी,
12. पत्र व्यवहार हेतु पता	: क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर- 332301

निविदा की शर्तें :-

- कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर के पूर्वी फार्म-प्रथम व द्वितीय पर हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा आमन्त्रित की है। एक बोलीदाता/निविदादाता केवल एक फार्म (प्रथम अथवा द्वितीय) की निविदा में भाग ले सकता है। यदि किसी बोलीदाता/निविदादाता ने दोनों फार्म की निविदा में भाग लिया तो उनकी पूर्वी फार्म-प्रथम की निविदा (यदि सफल हो तो) को स्वीकार करते हुए पूर्वी फार्म-द्वितीय का वित्तीय निविदा प्रपत्र (लिफाफा-2) नहीं खोला जायेगा। अतः एक बोलीदाता/निविदादाता इस केन्द्र की हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा के क्रम संख्या 1 अथवा 2 में से एक में ही हिस्सा ले है।
- खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500 नगद कार्यालय में जमा करा दिये हैं एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रु. 20000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट कमांक दिनांक जो कि Zonal Director Research ARS, Fatehpur-Shekhawati के पक्ष में देय है एवं इसे दिनांक 30.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी में भौतिक रूप से जमा कराना आवश्यक है।
- कार्य सम्पादन राशि: सफल निविदादाता को कार्यदेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन को डिमाण्ड ड्राफ्ट "Zonal Director Research ARS, Fatehpur-Shekhawati" के नाम भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि समायोजित की जा

(Signature)

सकेगी। यह कार्य सम्पादन राशि निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जप्त की जा सकेगी।

4. प्रस्तावित निविदा पत्र क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
5. दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
6. यह हिस्सा आधारित खेती केवल केवल एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26) के लिए ही मान्य होगी।
7. केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 30-40 हैक्टर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना है, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के आधार पर व अन्य फसलों का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी/ केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
8. हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई-गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप में करवाई जा सकती है।
9. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होंगे। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना, बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक के सभी कार्य इत्यादि हिस्साधारक को करने होंगे।
10. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
11. ट्रैक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र द्वारा करवाये जायेंगे तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
12. निविदादाता को फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणों, ओजारों, सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे, बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक समस्त देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्त होने पर जितनी ही संख्या में प्राप्त किये थे वापस लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर या सामान कम लौटाने पर सामान की कीमत कार्यालय में जमा करनी होगी।
13. प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विद्युत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के उपरान्त वर्षपर्यन्त दिन-रात फसल खेत में से उठने तक प्रक्षेत्र पर मौजूद संपूर्ण संपत्ति यथा प्रक्षेत्र बाउंड्री, पेड़-पौधे, टयबू-वैल, प्रक्षेत्र पर मौजूद सभी फसलें आदि की चौकीदारी एवं फसलों की नीलगाय व अन्य जानवरों से सुरक्षा का कार्य करना होगा।

15. निविदादाता या उसका मजदूर केन्द्र प्रक्षेत्र पर मदिश एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देंगे एवं शेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. बीज उत्पादन हेतु समस्त भाष्य कियेये फार्म मैनेजर/प्रभारी/केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिकों व ओजारा की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
17. फार्म की चौकीदारी, पशु-पक्षियों से रखवाली, फसलों के आस-पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
18. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा एवं अधिक कचरा एवं नमी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णय अनुसार वजन काटा जायेगा।
19. व्यवसायिक उत्पादन में हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
20. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम में रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख में करवाना होगा।
21. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
22. किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
23. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा। हिस्से की राशि नजदीकी सरकारी मण्डी (कृषि उपज मण्डी, फतेहपुर-शेखावाटी) के 14 दिनों के अधिकतम का औसत भाव (फसल जमा करवाने की अन्तिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद) के आधार पर जो भी मूल्य होगा, उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद कर दिया जावेगा।
24. हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा/भूसा दिया जायेगा। केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होंगे।
26. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा तथा यह निविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम निविदा है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
27. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
28. कसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
29. निराई गुड़ाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार संबंधित अधिकारी को होगा।
30. फसल को थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को गोदाम में लाकर समान वजन की बोखियों में भरना होगा एवं व्यवस्थित तरीके से धांग लगानी होगी। बोखिया केन्द्र उपलब्ध करायेगा। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो संबंधित अधिकारी द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।

31. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आव यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आव यकता को मध्य नजर रखते हुए केन्द्र/फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढ़ाई जा सकती है।
32. कसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनरे के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
33. किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
34. सफल निविदादाता को समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, ऐसा लिखकर रुपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
35. हम क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
36. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
37. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा/बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कोन्ट्रेक्टर/निविदादाता के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो० न०:-



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

लिफाफा-1

निविदा की क्रम संख्या-1 हेतु तकनीकी प्रपत्र

केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा (केन्द्र के पूर्वी फार्म-प्रथम में ट्यूबवेल संख्या 2, 3 व 4 पर अनुमानित क्षेत्रफल 30-40 हैक्टर) के लिए विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा इच्छुक बोलीदाताओं/सेवाप्रदाताओं/काश्तकार से तकनीकी एवं वित्तीय मुहरबन्द निविदा पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है:

i.	कार्य का नाम	: केन्द्र के पूर्वी फार्म-प्रथम में ट्यूबवेल संख्या 2, 3 व 4 पर विभिन्न फसलों की हिस्सा आधारित खेती
ii.	कार्य की अनुमानित अवधि	: एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)
iii.	कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल	: 30-40 हैक्टर
iv.	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
v.	निविदा जमा में जमा कराने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक
vi.	निविदा खोलने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को सांय 2.00 बजे

1. निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :
2. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रु. 20000 का विवरण: डी.डी. सं., दिनांक:
3. निविदादाता का पैन नं.: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
4. निविदादाता की आधार संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
5. निविदादाता की बैंक खाता संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
6. निविदादाता को शर्तों पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर करने हैं।
7. सफल निविदादाता को रुपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
8. धरोहर राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

लिफाफा-2

निविदा की क्रम संख्या-1 हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

मैं/हम नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहे हैं :

क्र.सं.	मौसम	बोई जाने वाली फसलों के नाम
1	खरीफ, 2025 व रबी, 2025-26	ग्वार, मूंग, चंवला, गेहूँ, जौ, मेथी, चना, सरसों व अन्य फसलें

उपरोक्त हिस्सा आधारित खेती के लिए प्रतिशत हिस्सा पर अपनी सहमति प्रस्तुत करता/करती हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो0 न0:-



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

लिफाफा-1

निविदा की क्रम संख्या-2 हेतु तकनीकी प्रपत्र

केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा (केन्द्र के पूर्वी फार्म-द्वितीय में ट्यूबवेल संख्या 5, 6 व 7 पर अनुमानित क्षेत्रफल 30-40 हैक्टर) के लिए विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा इच्छुक बोलीदाताओं/सेवाप्रदाताओं/काश्तकार से तकनीकी एवं वित्तीय मुहरबन्द निविदा पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है:

i.	कार्य का नाम	: केन्द्र के पूर्वी फार्म-द्वितीय में ट्यूबवेल संख्या 5, 6 व 7 पर विभिन्न फसलों की हिस्सा आधारित खेती
ii.	कार्य की अनुमानित अवधि	: एक वर्ष (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)
iii.	कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल	: 30-40 हैक्टर
iv.	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
v.	निविदा जमा में जमा कराने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक
vi.	निविदा खोलने की दिनांक व समय	: 30.05.2025 को सांय 2.00 बजे

- 1- निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :
- 2- बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रु. 20000 का विवरण: डी.डी. सं., दिनांक:
- 3- निविदादाता का पैन नं.: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
- 4- निविदादाता की आधार संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
- 5- निविदादाता की बैंक खाता संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
- 6- निविदादाता को शर्तों पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर करने हैं।
- 7- सफल निविदादाता को रुपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- 8- धरोहर राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 9- निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता



Agricultural Research Station, Fatehpur, Sikar – 332301, Rajasthan
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर – 332301, राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

लिफाफा-2

निविदा की क्रम संख्या-2 हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

मैं/हम नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहे हैं :

क्र.सं.	मौसम	बोई जाने वाली फसलों के नाम
1	खरीफ, 2025 व रबी, 2025-26	ग्वार, मूंग, चंवला, गेहूँ, जौ, मेथी, चना, सरसों व अन्य फसलें

उपरोक्त हिस्सा आधारित खेती के लिए प्रतिशत हिस्सा पर अपनी सहमति प्रस्तुत करता/करती हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो० न०:-